वधिायकों का नलिंबन

प्रलिमि्स के लयि:

अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 212, अनुच्छेद 194, संवधिान की मूल संरचना, लोक प्रतनिधित्वि अधनियिम, 1951 की धारा 151 (ए)

मेन्स के लयि:

जनप्रतनिधित्वि अधनियिम, 1951, शक्तयिों का पृथक्करण

चर्चा में क्यों?

हाल ही में महाराष्ट्र वधिानसभा के 12 वधिायक अपने एक वर्ष के नलिंबन के खलिाफ सर्वोच्च न्यायालय गए हैं।

- सर्वोच्च न्यायालय ने पाया है कि वधिायको का पूरे एक वर्ष के लयि **नलिंबन प्रथम दृष्टया असंवैधानकि** है और इन नर्विाचन क्षेत्रों में एक संवैधानकि शून्य की स्थति पैदा करेगा।

प्रमुख बदिु:

- **वधिायकों के नलिंबन के बारे में:**
  - वधिायकों को ओबीसी के डेटा के खुलासे के संबंध में वधिानसभा में कयि गए दुर्व्यवहार के लयि नलिंबति कयिा गया है।
  - नलिंबन की चुनौती मुख्य रूप से **नैसर्गकि न्याय के सद्धिांतों के खंडन** और **नर्धिारति प्रक्रयिा के उल्लंघन के आधार** पर नर्भिर करती है।
    - 12 वधिायकों ने कहा है कि उन्हें अपना मामला पेश करने का मौका नहीं दयिा गया और नलिंबन ने संवधिान के अनुच्छेद 14 के तहत कानून के समक्ष समानता के उनके मौलकि अधकिार का उल्लंघन कयिा है।
  - **महाराष्ट्र वधिानसभा का नयिम 53:** इसमें कहा गया है कि "अध्यक्ष कसिी भी उस सदस्य को वधिानसभा से तुरंत हटने के लयि नर्दिेश दे सकता है जो उसके फैसले को मानने से इनकार करता है या जसिका आचरण उसकी राय में अव्यवस्था उत्पन्न करता है"।
    - सदस्य को **"दनि की शेष बैठक के दौरान खुद का अनुपस्थति"** रहना होगा।
    - यदि कसिी सदस्य को उसी सत्र में दूसरी बार वापस लेने का आदेश दयिा जाता है तो अध्यक्ष सदस्य को अनुपस्थति रहने का नर्दिेश दे सकता है, जो **"कसिी भी अवधि के लयि सत्र के शेष दनिों से अधकि नहीं होना चाहयि"**।
- **महाराष्ट्र वधिानसभा द्वारा तर्क:**
  - **अनुच्छेद 212:** सदन ने अनुच्छेद 212 के तहत अपनी वधिायी क्षमता के तहत कार्य कयिा तथा न्यायालय को वधिायकिा की कार्यवाही की जाँच करने का अधकिार नहीं है।
    - अनुच्छेद 212 (1) के अनुसार, "कसिी राज्य के वधिानमंडल प्रक्रयिा की कसिी कथति अनयिमतिता के आधार पर कसिी राज्य के वधिानमंडल में कसिी भी कार्यवाही की वैधता पर सवाल नहीं उठाया जाएगा।
  - **अनुच्छेद 194:** राज्य ने सदन की शक्तयिों और वशिेषाधकिारों पर अनुच्छेद 194 का भी उल्लेख कयिा और तर्क दयिा है कि इन वशिेषाधकिारों का उल्लंघन करने वाले कसिी भी सदस्य को सदन की अंतर्नहिति शक्तयिों के माध्यम से नलिंबति कयिा जा सकता है।
    - राज्य द्वारा इस बात से भी इनकार कयिा गया है कि कसिी सदस्य को नलिंबति करने की शक्ति का प्रयोग केवल वधिानसभा के नयिम 53 के माध्यम से कयिा जा सकता है।
- **सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दयि गए तर्क:**
  - **संवधिान की मूल संरचना का उल्लंघन:** वधिानसभा में पूरे एक साल तक नलिंबति वधिायकों के नर्विाचन क्षेत्र का प्रतनिधित्वि न होने से संवधिान का मुल ढाँचा प्रभावति होगा।
  - संवैधानकि आवश्यकता: पीठ ने संवधिान के **अनुच्छेद 190 (4)** का उल्लेख कयिा, जसिमें कहा गया है, "यदि कसिी राज्य के वधिानमंडल के सदन का कोई सदस्य साठ दनिों की अवधि तिक सदन की अनुमति के बनिा उसकी सभी बैठकों से अनुपस्थति रहता है, तो सदन उसकी सीट को रक्ति घोषति कर सकता है।"
  - **वैधानकि आवश्यकता:** जनप्रतनिधित्वि अधनियिम, 1951 **की धारा 151 (ए)** के तहत, "कसिी भी रक्ति को भरने के लयि वहाँ एक उप-चुनाव, रक्ति होने की तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर आयोजति कयिा जाएगा"।

- इसका मतलब है कि इस धारा के तहत निर्दिष्ट अपवादों को छोड़कर, कोई भी निर्वाचन क्षेत्र छह महीने से अधिक समय तक प्रतिनिधि के बिना नहीं रह सकता है।

- **पूरे निर्वाचन क्षेत्र को दंडित करना:** सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि एक वर्ष का निलंबन प्रथम दृष्टया असंवैधानिक था क्योंकि यह छह महीने की सीमा से आगे निकल गया था और यहाँ "सदस्य को नहीं बल्कि पूरे निर्वाचन क्षेत्र को दंडित किया गया।
- **सर्वोच्च न्यायालय के हस्तक्षेप का प्रश्न:** उच्चतम न्यायालय से इस प्रश्न पर शासन करने की अपेक्षा की जाती है कि क्या न्यायपालिका सदन की कार्यवाही में हस्तक्षेप कर सकती है।
    - हालाँकि संवैधानिक विशेषज्ञों का कहना है कि न्यायालय ने पिछले फैसलों में स्पष्ट किया है कि सदन द्वारा किये गए असंवैधानिक कृत्य के मामले में न्यायपालिका हस्तक्षेप कर सकती है।

संसद सदस्य के निलंबन के प्रावधान:

- लोकसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के अंतर्गत नियम 378 के अनुसार, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा सदन में व्यवस्था बनाई रखी जाएगी तथा उसे अपने निर्णयों को प्रवर्तित करने के लिये सभी शक्तियाँ प्राप्त होंगी।
- नियम 373 के अनुसार, यदि लोकसभा अध्यक्ष की राय में किसी सदस्य का व्यवहार अव्यवस्थापूर्ण है तो अध्यक्ष उस सदस्य को लोकसभा से बाहर चले जाने का निर्देश दे सकता है और जिस सदस्य को इस तरह का आदेश दिया जाएगा, वह तुरंत लोकसभा से बाहर चला जाएगा तथा उस दिन की बची हुई बैठक के दौरान वह सदन से बाहर रहेगा।
- नियम 374 (1), (2) तथा (3) के अनुसार, यदि लोकसभा अध्यक्ष की राय में किसी सदस्य ने अध्यक्ष के प्राधिकारों की उपेक्षा की है या वह जान बूझकर लोकसभा के कार्यों में बाधा डाल रहा है तो लोकसभा अध्यक्ष उस सदस्य का नाम लेकर उसे अवशिष्ट सत्र से निलंबित कर सकता है तथा निलंबित सदस्य तुरंत लोकसभा से बाहर चला जाएगा।
- नियम 374 (क) (1) के अनुसार, नियम 373 और 374 में अंतर्विष्ट किसी प्रावधान के बावजूद यदि कोई सदस्य लोकसभा अध्यक्ष के आसन के निकट आकर अथवा सभा में नारे लगाकर या अन्य प्रकार से लोकसभा की कार्यवाही में बाधा डालकर जान-बूझकर सभा के नियमों का उल्लंघन करते हुए घोर अव्यवस्था उत्पन्न करता है तो लोकसभा अध्यक्ष द्वारा उसका नाम लिये जाने पर वह लोकसभा की पाँच बैठकों या सत्र की शेष अवधि के लिये (जो भी कम हो) स्वतः निलंबित माना जाएगा।

स्रोत- इंडियन एक्सप्रेस

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/suspension-of-mlas